भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 907

07 फरवरी,2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्षय रोग के मामलों का प्रसार संबंधी अध्ययन

907. श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अध्ययन के अनुसार क्षय रोग के मामलों के वास्तविक प्रसार के मामलों से उसकी व्यापकता दर के कहीं अधिक होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा क्षय रोग के प्रसार के वास्तविक मामलों को चिह्नित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) भारत में वर्ष 2014 से 2024 तक क्षय रोग के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 2014 से क्षय रोग के कारण प्रति मिनट होने वाली मृत्यु की संख्या कितनी है;

(ड) क्या सरकार ने क्षय रोग के प्रसार और व्यापकता का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा देश में तत्काल सर्वेक्षण कराने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्षय रोग उन्मूलन के लिए 2014 से आज दिनांक तक किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (छ): मंत्रालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के माध्यम से उप-राष्ट्रीय स्तर पर टीबी के रोग भार का आंकलन करने के लिए 20 राज्य/राज्यों के समूह में राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण कराया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि देश में 2021 में सभी आयु वर्गों में सभी प्रकार के टीबी मामलों की व्याप्तता 312/लाख जनसंख्या थी। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में टीबी के मामले 2015 में 237/लाख जनसंख्या थे जो घटकर 2023 में 195/लाख जनसंख्या हो गए हैं।

इसके अलावा, सभी टीबी मामलों का पता लगाने और उचित उपचार शुरू करने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ की गई हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी रोगभार वाले क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप।
- टीबी रोगियों को दवाइयां और निदान की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- प्रमुख संवेदनशील आबादी और सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों में सक्रिय टीबी मामले खोजने के लिए अभियान चलाना।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्तर तक टीबी जांच और उपचार की विकेन्द्रीकृत सेवाएं.
- टीबी मामलों की अधिसूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहनों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- उप-जिला स्तर तक आणविक निदान प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- हीन भावना को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य आकांक्षी व्यवहार में सुधार लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी गहन उपाय।
- टीबी उन्मूलन के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रयासों और संसाधनों को एकजुट करना।
- टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और कमजोर आबादी को टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- निक्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर नज़र रखें ।
- टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और कमजोर आबादी के पात्र व्यक्तियों को टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।

इसके अलावा, 2014 से टीबी के अनुमानित मामले, प्रति मिनट टीबी से होने वाली मृत्यु और टीबी के लिए बजटीय आवंटन का विवरण **अनुलग्नक की तालिका 1 और 2** में दिया गया है ।

*****

दिनांक **07/02/2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 907 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

अनुलग्नक

वर्ष 2014 से प्रति मिनट टीबी के मामलों और टीबी से होने वाली मौतों का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 1: 2014 से प्रति मिनट **टीबी** के **अनुमानित मामले और टीबी से होने वाली अनुमानित मौतों का विवरण**			
वर्ष	**टीबी** के **अनुमानित मामले (पूर्ण संख्या में)**	**अनुमानित टीबी मृत्यु दर (पूर्ण संख्या में)**	**प्रति मिनट अनुमानित टीबी मृत्यु दर (पूर्ण संख्या में)**
2014	3190000	392000	0.75
2015	3140000	375000	0.71
2016	3030000	359000	0.68
2017	2950000	346000	0.66
2018	2860000	336000	0.64
2019	2810000	322000	0.61
2020	2740000	336000	0.64
2021	2830000	349000	0.66
2022	2840000	324000	0.62
2023	2800000	315000	0.60

डेटा स्रोत: ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024.

टीबी उन्मूलन के लिए वित्त वर्ष 2013-14 से बजटीय आवंटन का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2: 2014-15 और 2024-25 के दौरान टीबी उन्मूलन के लिए किया गया बजटीय आवंटन	
वर्ष	**बजटीय आवंटन (करोड़ रुपये में)**
2014-15	640.00
2015-16	640.00
2016-17	677.78
2017-18	2791.00
2018-19	3140.00
2019-20	3333.21
2020-21	3109.93
2021-22	3409.94
2022-23	1666.33*
2023-24	1888.82*
2024-25 #	2071.03*

** वर्ष 2022-23 से आगे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया जाने वाले के आवंटन में नकद अनुदान शामिल नहीं है, जिसे एनएचएम द्वारा सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक सामान्य पूल अर्थात आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल के रूप में जारी किया जा रहा है, जिसमें टीबी भी शामिल है।*

 # 29.01.2025 तक

*****